

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 13(1)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2017

जयपुर, दिनांक: 10.08.2017

अतिरिक्त आवंटन आदेश माह अगस्त, 2017
(खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत)

जिला कलक्टर (रसद), जालोर के पत्र क्रमांक सहायता/जा/2017/1056 दिनांक 02.08.2017 द्वारा जिले में अतिवृष्टि एवं बाढ के कारण अत्यधिक प्रभावित पंचायत समिति चितलवाना के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत माह अगस्त, 2017 के लिए 381 मैटन गेहूं के अतिरिक्त आवंटन की मांग के अनुसार विभाग द्वारा माह अगस्त, 2017 के पेटे जारी समसंख्यक आवंटन आदेश दिनांक 05.07.2017 पश्चात विभाग में उपलब्ध अवशेष मात्रा 62025 मैटन में से माह अगस्त, 2017 हेतु जिला जालोर को 381 मैटन का अतिरिक्त आवंटन किया जाता है। शेष अन्य सभी नियम एवं शर्तें पूर्वानुसार यथावत लागू रहेंगी।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

10.08.2017
(आकाश तोमर)
उपायुक्त (द्वितीय)

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान जयपुर।
4. जिला कलक्टर, जालोर।
5. महाप्रबन्धक, (क्षेत्र) क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, 4 नेहरू प्लेस, टोंक रोड जयपुर को भेजकर लेख है कि जालोर जिले को माह अगस्त, 2017 के पेटे आवंटित अतिरिक्त खाद्यान्न की मात्रा की राशि जमा करने एवं उठाव की अवधि दिनांक 15.08.2017 तक बढ़ाने का श्रम करें।
6. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लि०, जयपुर।
7. जिला रसद अधिकारी, जालोर को प्रेषित कर लेख है कि खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अतिरिक्त आवंटित गेहूं की मात्रा का निश्चित अवधि में राशि जमा कराकर उठाव सुनिश्चित करायें।
8. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. जयपुर।
9. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को संबंधित को ई-मेल एवं विभागीय वेबसाईटर का अपलोड करने हेतु।
10. रक्षा पत्रिका।

उपायुक्त (द्वितीय)

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग


क्रमांक एफ 13(1)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2017

जयपुर, दिनांक: 10.08.2017

अतिरिक्त आवंटन आदेश माह अगस्त, 2017
(खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत)


जिला कलक्टर (रसद), जालोर के पत्र क्रमांक सहायता/जा/2017/1056 दिनांक 02.08.2017 द्वारा जिले में अतिवृष्टि एवं बाढ़ के कारण अत्यधिक प्रभावित पंचायत समिति चितलवाना के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत माह अगस्त, 2017 के लिए 381 मै0टन गेहूं के अतिरिक्त आवंटन की मांग के अनुसार विभाग द्वारा माह अगस्त, 2017 के पेटे जारी समसंख्यक आवंटन आदेश दिनांक 05.07.2017 पश्चात विभाग में उपलब्ध अवशेष मात्रा 62025 मै0 टन में से माह अगस्त, 2017 हेतु जिला जालोर को 381 मै0 टन का अतिरिक्त आवंटन किया जाता है। शेष अन्य सभी नियम एवं शर्तें पूर्वानुसार यथावत लागू रहेगी।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(आकाश तोमर)
उपायुक्त (द्वितीय)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान जयपुर।
4. जिला कलक्टर, जालोर।
5. महाप्रबन्धक, (क्षेत्र) क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, 4 नेहरू प्लेस, टोंक रोड जयपुर को भेजकर लेख है कि जालोर जिले को माह अगस्त, 2017 के पेटे आवंटित अतिरिक्त खाद्यान्न की मात्रा की राशि जमा करने एवं उठाव की अवधि दिनांक 15.08.2017 तक बढ़ाने का श्रम करें।
6. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लि0, जयपुर।
7. जिला रसद अधिकारी, जालोर को प्रेषित कर लेख है कि खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अतिरिक्त आवंटित गेहूं की मात्रा का निश्चित अवधि में राशि जमा कराकर उठाव सुनिश्चित करायें।
8. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. जयपुर।
9. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को संबंधित को ई-मेल एवं विभागीय वेबसाईटर का अपलोड करने हेतु।
10. रक्षा पत्रिका।


10.08.2017
उपायुक्त (द्वितीय)